

परिशिष्ट-चार

पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

(खंड 18)

एक--जीवन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशन भुगतान आदेश क्र. के धारक पेंशनभोगी (पेंशनभोगी का नाम) को देखा है और वह आज की तारीख को जीवित है ।

स्थान

दिनांक

नाम

प्राधिकृत अधिकारी का पद नाम

मुहर

दो--बेरोजगारी प्रमाण-पत्र

(राज्य सेवा प्रथम श्रेणी अधिकारियों तथा अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा)

(ए) मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने शासन की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात/बिना मंजूरी प्राप्त किये वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार कर लिया है ।

(ए) मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने शासन की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात/बिना मंजूरी प्राप्त किये भारत के बाहर किसी भी शासन के अधीन कोई नियोजन स्वीकार कर लिया है/स्वीकार नहीं किया है ।

(ए) मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने भारत में किसी भी शासन, राष्ट्रीयकृत बैंक शासकीय सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त/स्थानीय निकाय के अधीन कोई नियोजन स्वीकार कर लिया है/स्वीकार नहीं किया है ।

(ए) जो लागू न हो उसे काट दें ।

सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले दो वर्षों के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा ।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

पेंशन भोगी का नाम

पेंशन भुगतान आदेश क्रमांक

तीन--पुनर्विवाह/विवाह न करने का प्रमाण-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ/मैंने पिछले छः माह के दौरान विवाह नहीं किया है ।
या

*मैं इसके द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा मैं वचन देती हूँ कि एम्मा किमी भी घटना की कोषागार/बैंक को तत्काल सूचना दे दूंगी ।

*केवल परिवार पेंशन पाने वाली विधवा के लिये ही लागू होगा तथा केवल एक ही बार प्रस्तुत किया जाएगा ।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

पेंशन भोगी का नाम

पेंशन भुगतान आदेश क्रमांक